"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 जनवरी 2011—माघ 1, शक 1932

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-72/2008/स्था/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा तथा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

(1) अनुसूची-एक में, कॉलम (2) के सरल क्र. 12 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों में अंक "5000-8000" के स्थान पर, अंक "5500-9000" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) अनुसूची-एक में, कॉलम (2) के सरल क्र. 17 के कॉलम (5) से संबंधित प्रविष्टियों में अंक "4000-6000" के स्थान पर, अंक "4500-7000" प्रतिस्थापित किया जाये.

(3) यह संशोधन 1 अप्रैल 2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2011

क्रमांक-एफ 1-72/2008/स्था/32.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-01-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

Raipur, the 20th January 2011

NOTIFICATION

No. F 1-72/2008/32.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following amendment in the Chhattisgarh Town and Country Planning Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service and Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

1. In Schedule-I, for Serial No. 12 of Column (2) and entries relating to Column (5), for the figures "5000-8000", the figures "5500-9000" shall be substituted.

2. In Schedule-I, for Serial No. 17 of Column (2) and entries relating to Column (5), for the figures "4000-6000", the figures "4500-7000" shall be substituted.

3. This amendment shall be deemed to have come in to effect from 1st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AMIT KATARIYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.